Unauthorised Mosque near Shantivana, Delhi

8700. Shri Jagannath Rao Joshi:
Shri Ram Gopal Shalwale:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Raghuvir Singh Shastri:
Shri Shiv Kumar Shastri:
Shri Hukam Chand Kachwai:
Shri Ram Avtar Sharma:
Shri Onkar Lal Berwa:
Dr. Surya Prakash Puri:
Shri Arjun Singh Bhadoria:

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that an unauthorized mosque has been built near Shantivana;

(b) if so, the action taken thereon; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) Yes.

(b) and (c). The land, on which the mosque in question (Dargah Shah Barey) is situated, originally vested in the erstwhile Delhi Improvement Trust (now Delhi Development Authority) and was transferred to the control of the Land and Development Office in 1962. According to the records available in the Land Development Office, the possession of the mosque over the land is unauthorised. The Delhi Wakf Board has, however, claimed that the land had been allotted and possession handed over to the erstwhile Sunni-Majlis-e-Aukaf in 1953. The matter is being investigated in consultation with the Delhi Development Authority.

बम्बई के एक दलाल के पास से पकड़े गये दस्तावेज

8701. श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बेणी शंकर शर्मा :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री ओ० प्र० त्यागी :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री भा० दा० देशमुख :

क्या **वित्त** मंत्री 6 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न 4787 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री ज्वालादत्त भूत के पास से दस्तावेज पकड़े जाने के बाद इस बीच काफी समय तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और इस प्रकार वह व्यक्ति इनमें से बहुत से दस्तावेज़ निकाल ले गया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त दलाल के पास से पकड़े गये दस्तावेजों में उल्लिखित व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ;

(ग) यदि उपरोक्त भागों (क) और (ख) के उत्तर नकारात्मक हों, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) दस्तावजों में उल्लिखित 67 व्यक्तियों सम्बन्धी विवरण क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, नहीं । कार्यवाही की गई है । पकड़ गये कागजों में से श्री ज्वालादत्त भूत कुछ भी दस्तावेज नहीं निकाल ले गया है ।

(ख) जी नहीं, कार्यवाही की गई है ।

(ग) भाग (क) और (ख) में दिये गये उत्तरों को देखते हुए यह सवाल पैदा नहीं होता ।

(घ) इन मामलों में जांच पड़ताल की कार्यवाही जारी है और इसलिये वर्तमान स्थिति में मामलों के ब्यौरे जाहिर करने से जांच पड़ताल की कार्यवाही में बाधा उपस्थित होगी ।